भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 3010

दिनांक 3 अगस्त , 2017 / 12 श्रावण, 1939 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

जेट एयरवेज द्वारा मुख्य प्रचालन अधिकारी की नियुक्ति

3010. डॉ. उदित राज:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए, बिना सुरक्षा मंजूरी के जेट एयरवेज द्वारा मुख्य प्रचालन अधिकारी (सीओओ) के पद पर एक विदेशी व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, जिसके कारण गोपनीय सूचना लीक होने का तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क): जी नहीं।

(ख) और (ग): नागर विमानन अपेक्षाएँ, शृंखला 'ग', भाग II, खण्ड 3-अनुसूचित विमान यातायात प्रचालन के लिए विमान यातायात- के पैरा 4.1.5 के अनुसार विदेशी नागरिकों द्वारा प्रमुख कार्यपालक अधिकारी (CEO) तथा/या मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) तथा या मुख्य प्रचालन अधिकारी का पद ग्रहण करने पर कंपनी में नियुक्ति से पहले गृह मंत्रालय द्वारा उनकी सुरक्षा निकासी जरूरी है।

*****

out:blank